न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 59/2018 (अपील)

1. श्री इमरान आत्मज सुल्तान जाति मुस्लिम निवासी अनन्तपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

——अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक वन मण्डल कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 31.05.2018 मि0नं0 72/2018 न्यायालय सहा0 वन संरक्षक वन मण्डल कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः–31.12.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा द्वारा ग्राम अनन्तपुरा कोटा की ख0नं0 90 की रकबा 0.011 हे0 वन भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 72/2018 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल के आदेश व 2100/–शास्ति के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 31.05.2018 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 09.08.2018 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही मात्र क्षैत्रीय वन अधिकारी की झूंठी रिपोर्ट के एक पक्षीय आधार पर निर्णय जैर अपील प्रदान कर ग्राम अनन्तपुरा कोटा की आराजी खसरा नम्बर 90 की 0.011 हे0 आराजी से बेदखल करने का तथा अतिक्रमी मानकर 2100/– जुर्माना से दण्डित

Scanned by CamScanner

करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है । अपीलांट का वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और जुर्माना राशि जमा करा दी गई है । अपीलांट द्वारा भूमि से कब्जा छोड दिया है तथा वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त होने योग्य है । उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम निांक 7.8.2018 को प्राप्त हुई है और उसी दिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर 7.8.2018 को नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.5.2018 को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही मात्र क्षैत्रीय वन अधिकारी की झूंठी रिपोर्ट के एक पक्षीय आधार पर निर्णय जैर अपील प्रदान कर ग्राम अनन्तपुरा कोटा की आराजी खसरा नम्बर 90 की 0.011 हे0 आराजी से बेदखल करने का तथा अतिक्रमी मानकर 2100/– जुर्माना से दण्डित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है । अपीलांट का वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और जुर्माना राशि जमा करा दी गई है । अपीलांट द्वारा भूमि से कब्जा छोड दिया है तथा वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.5.2018 अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

5. रेस्पोडेन्ट के विभागीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा ग्राम अनन्तपुरा की वन भूमि ख0नं0 90 की रकबा 0.011 हे0 पर अतिक्रमण कर निमार्ण किया है जिस पर बेदखली के अदेश कर 2100/– जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया है जो मौका स्थिति व रेकार्ड के आधार पर कार्यवाही की गई है जो सही है । अतः अपील तथ्यहीन होने से खारिज फरमाई जावें ।

Scanned by CamScanner

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 09.08 2018 को पेश की गई है जो विलम्ब से पेश है, अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 31.05.2018 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 07.08.2018 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। न्यायहित में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा ने रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम अनन्तपुरा स्थित वन भूमि नम्बर 90 की 0.011 हे0 भूमि पर इमरान पुत्र श्री सुल्तान द्वारा अतिक्रमण कर निमार्ण कार्य किया हुआ है, इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। क्षैत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 2100/– रूपये का शास्ति के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी हो, जिसकी पुष्टि क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा द्वारा मौके पर जाकर पुष्टि की जावें, यदि मौके पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास की सजा की कार्यवाही नहीं की जावें । शेष आदेश बेदखली व शास्ति की सजा यथावत रहेगी ।

9. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner